INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

MPPSC-PCS

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

भाग – 3

भारत और मध्यप्रदेश की राजव्यवस्था

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स **"MPPSC -PCS (Madhya Pradesh Public Service Commission) (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु)"** को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा **"संयुक्त राज्य / अपर अधीनस्थ सेवा (PCS)"** भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

WhatsApp करें - https://wa.link/dy0fu7

Online Order करें - https://bit.ly/3BGkwhu

मूल्य : ₹	**संस्करण : नवीनतम**

भारतीय राजव्यवस्था		
क्र.सं.	अध्याय	पेज
1.	राजव्यवस्था का परिचय • शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार • भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना	1
2.	संविधान सभा • क्रिप्स मिशन एवं कैबिनेट मिशन • संविधान सभा की कार्य प्रणाली • संविधान सभा की समितियां • संविधान निर्माण से संबंधित महत्त्वपूर्ण व्यक्ति • भारत स्वतंत्रता अधिनियम • स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमण्डल	4
3.	भारतीय संविधान की विशेषताएँ • भारतीय संविधान के स्त्रोत	9
4.	उद्देशिका (प्रस्तावना) • प्रस्तावना के मुख्य शब्द • प्रस्तावना का महत्व • राज्य के उद्देश्य • राज्य की शक्ति का स्त्रोत	15
5.	मौलिक अधिकार • मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण • मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ	19

	• राज्य की परिभाषा • रिट का वर्गीकरण • संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति • मौलिक अधिकारों की आलोचना • मूल अधिकारों के महत्व	
6.	राज्य के नीति निदेशक तत्व • नीति निदेशक तत्व की विशेषताएँ • निदेशक तत्वों का वर्गीकरण • मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों में अंतर • नीति निदेशक तत्वों की आलोचना	30
7.	मूल कर्तव्य • मूल कर्तव्यों की विशेषताएं • मूल कर्तव्यों की आलोचना • वर्तमान में मूल कर्तव्य	35
8.	राष्ट्रपति • राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएँ / योग्यताएँ • राष्ट्रपति की पदावधि • निर्वाचन प्रणाली • निर्वाचक प्रक्रिया • राष्ट्रपति पर महाभियोग • राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य • आपातकालीन शक्तियाँ • क्षमादान की शक्ति	42

	• राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति	
९.	उपराष्ट्रपति • भूमिका • शक्तियाँ और कार्य	ऽ९
10.	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद् • प्रधानमंत्री की नियुक्ति • शक्तियाँ और कार्य • केंद्रीय मंत्रिपरिषद् • मंत्रिमंड़ल • मंत्रिमंड़लीय समितियाँ • किचन कैबिनेट • मंत्रिपरिषद और मंत्रीमंडल में अन्तर	62
11.	भारतीय संसद • लोकसभा • राज्यसभा • राज्यसभा के अधिकार और कार्य • संसदो की निरर्हताएँ • सांसदों के विशेषाधिकार • भारत की लोकसभायें • संसद की कार्यवाही • संसदीय समितियाँ • धन-विधेयक • वित्त विधेयक	69

12.	केन्द्र- राज्य संबंध • विधायी संबंध • प्रशासनिक संबंध • वित्तीय संबंध	83
13.	उच्चतम न्यायालय • सुप्रीम कोर्ट की भूमिका • उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता • उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार • उच्च न्यायालय • न्यायाधीशों की योग्यता • न्यायाधीशों की नियुक्त • मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति • कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति • उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार • न्यायिक पुनरावलोकन / समीक्षा • न्यायिक सक्रियता • लोक अदालत • राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण • जनहित याचिका	85
14.	संविधान संशोधन • संविधान संशोधन की प्रक्रिया • संशोधन प्रक्रिया की आलोचना • प्रमुख संशोधन	100

	• मूल ढाँचा (Basic Structure)	
15.	भारत निर्वाचन आयोग • प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त • निर्वाचन आयोग का कार्य • चुनाव सुधार समस्याएं और समाधान की संभावनाएं	108
16.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक • नियुक्ति एवं कार्य	113
17.	नीति आयोग • नीति आयोग की संरचना • नीति आयोग के उद्देश्य • नीति आयोग के कार्य	116
18.	केंद्रीय सतर्कता आयोग • केंद्रीय सतर्कता आयुक्त • सचिवालय • विभागीय जाँच आयुक्त	118
19.	संघ लोक सेवा आयोग • संघ लोक सेवा आयोग की संरचना • संघ लोक सेवा आयोग के कार्य	123
20.	केंद्रीय सूचना आयोग • केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना • कार्यकाल एवं सेवा शर्ते • केन्द्रीय सूचना आयोग की शक्तियां एवं कार्य	124

21.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग • आयोग का गठन • आयोग के प्रमुख कार्य • आयोग की कार्य प्रणाली • आयोग की भूमिका	128
22.	राष्ट्रीय महिला आयोग • आयोग का गठन • आयोग के प्रमुख कार्य • आयोग की भूमिका	130
23.	विभिन्न अन्य आयोग • राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग • राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC) • राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग • उपभोक्ता फोरम	132
24.	भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार • राजनीतिक दल • राजनैतिक दलों की भूमिका/ कार्य • चुनौतियाँ • जाति, धर्म, लिंग और भाषा की भूमिका • भारत में दलीय व्यवस्था के गुण	136

	• दल परिवर्तन कानून	
25.	भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएँ • राजनीतिक प्रतिनिधित्व • निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी	143
26.	समुदाय आधारित संगठन (CBO) • समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ) दृष्टिकोण और ग्राम विकास • समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ) का महत्व और उत्पत्ति • गैर-सरकारी संगठन • भारत में गैर-सरकारी संगठन • भारतीय लोकतंत्र में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका • स्वयं सहायता समूह (SHG)	145
27.	मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं • मीडिया के प्रकार • इलेक्ट्रोनिक मीडिया • प्रिंट मीडिया • सोशल मीडिया	149
28.	भारतीय राजनीतिक विचारक • महात्मा गाँधीजी • डॉ. बी. आर. अंबेडकर • कौटिल्य • देवी अहिल्याबाई होल्कर	154

	• जवाहरलाल नेहरु • सरदार वल्लभ भाई पटेल • राम मनोहर लोहिया • पं. दीनदयाल उपाध्याय • जय प्रकाश नारायण	
	मध्यप्रदेश की राजव्यवस्था	
1.	राज्य की राजनीतिक व्यवस्था	167
2.	मध्य प्रदेश राजनीतिक पद (वर्तमान में 2024) • वर्तमान में मुख्यमंत्री एवं मंत्री • वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष व सदस्य	168
3.	राष्ट्रीय एकीकरण एवं राज्य पुनर्गठन 1956 • मध्य प्रदेश का निर्माण • मध्य प्रदेश का विभाजन (2000)	169
4.	राज्यपाल • राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां • मध्य प्रदेश के राज्यपाल	176
5.	मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् • मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ • राज्य मंत्रिपरिषद् • मंत्रिपरिषद् का गठन • मंत्रिपरिषद् के प्रमुख कार्य	181
6.	राज्य विधानसभा	184

	• राज्य विधानपरिषद् व विधानसभा • विधानसभा की शक्तियाँ • विधान परिषद की शक्तियाँ • विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका • विपक्ष की भूमिका	
7.	उच्च न्यायालय • न्यायाधीशों की नियुक्त • उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं भूमिका • मोबाईल अदालत	190
8.	मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग	195
9.	मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग	196
10.	खाद्य संरक्षण आयोग	197
11.	मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज • पंचायती राज संगठन एवं शक्तियां • शहरी स्थानीय स्वशासन • स्थानीय एवं नगरीय प्रशासन	198
12.	मध्यप्रदेश में प्रशासन एवं सुशासन • सचिवालय • सचिव एवं मुख्य सचिव • जिला प्रशासन • जिलाधीश की भूमिका • मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट	206
13.	मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य	214

	• जनजाति एवं पिछड़ें वर्गों से जुड़े मुद्दे • महत्वपूर्ण योजनायें एवं कार्यक्रम	
14.	मध्य प्रदेश राजनीति में महिलाओं का योगदान	216

अध्याय – I

राजव्यवस्था का परिचय

राज्य, राज्य के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता :-

- राज्य शब्द का प्रयोग तो विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिए भी होता है किंतु इसका वास्तविक अर्थ **किसी प्रांत से ना होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है।**
- वस्तुतः यह एक अमूर्त अवधारणा है अर्थात् इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता।
- उदाहरण के लिए भारत की सरकार संसद न्यायपालिका राज्यों की सरकारें नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है।

राज्य के तत्व :-

(1) भू-भाग (2) जनसंख्या (3) सरकार (4) संप्रभुता

1. **भू-भाग** :- अर्थात् एक ऐसा **निश्चित भौगोलिक प्रदेश** होना चाहिए,जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीति क्रियाएँ करती हों। उदाहरण के लिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भू-भाग है।
2. **जनसंख्या** :- राज्य होने की शर्त है कि उसके भू-भाग पर **निवास करने वाला एक ऐसा जनसमूह होना चाहिए,**जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हों। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा।
3. **सरकार** :- सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है **जो व्यावहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है।** 'राज्य' और 'सरकार' में यही अंतर है कि **राज्य एक अमूर्त संरचना है** जबकि **सरकार** उसकी **मूर्त व व्यावहारिक अभिव्यक्ति**।
4. **संप्रभुता या प्रभुसत्ता** :- यह राज्य का अत्यंत महत्त्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि राज्य के पास अर्थात् उसकी सरकार के पास अपने भू-भाग और जनसंख्या **की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए तथा** उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव में निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए।

राज्य के यह चारों तत्व अनिवार्य है, वैकल्पिक नही। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है।

शासन के अंग

1. **विधायिका** (अर्थात् कानून बनाने वाली संस्था)
2. **कार्यपालिका** (अर्थात् कानूनों के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था)
3. **न्यायपालिका** (अर्थात् कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था)

शासन के तीनों अंगों में संबंध :- किसी देश की राजव्यवस्था को समझने के लिए यह जानना भी जरूरी होता है कि वहाँ शासन के तीनों अंगों में कैसा संबंध है? मोटे तौर पर यह संबंध निम्न प्रकार का हो सकता है -

- कहीं-कहीं यह तीनों अंग परस्पर जुड़े होते हैं उदाहरण के लिए राज्य तंत्र में विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता है। अधिनायक तंत्र/तानाशाही तथा धर्म तंत्र में भी ऐसी ही व्यवस्था देखी जाती है यह लक्षण किसी राजव्यवस्था के पारंपरिक तथा गैर-लोकतांत्रिक होने की ओर इशारा करता है।
- कुछ देशों में **विधायिका और कार्यपालिका में नजदीक का संबंध होता** है, जबकि **न्यायपालिका इनसे अलग होती** है। यह व्यवस्था **संसदीय प्रणाली वाले देशों** में दिखाई पड़ती है। इनमें कार्यपालिका,विधायिका का ही अंग होती है जबकि कार्यपालिका इन दोनों से पृथक और स्वतंत्र होती है। **भारत और ब्रिटेन** को मोटे तौर पर इसके कारण के रूप में देखा जा सकता है।
- **अमेरिका** जैसे देशों में यह संबंध कुछ अलग है। वहां यह **तीनों अंग एक दूसरे से पृथक होते हैं**। इसे "**शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत**" कहते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति का चुनाव जनसाधारण द्वारा निर्वाचित निर्वाचक-गण के माध्यम से होता है। विधायिका के दोनों सदनों का चुनाव जनता अलग अलग तरीके से करती है। न्यायपालिका के पदाधिकारियों का चयन राष्ट्रपति करता है परन्तु इसके लिए उसे सीनेट के समर्थन की जरूरत पड़ती है।

  इस प्रकार शासन के तीनों अंग एक-दूसरे की शक्तियों का निर्वाहन करते हैं और इसके लिए संविधान में कई विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। इस सिद्धांत को "**नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत**" कहते हैं।
- जहां तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का प्रश्न है इसमें शासन के तीनों अंगों का संबंध ना तो पूरी तरह अमेरिका जैसा है और ना ही इंग्लैंड जैसा है। भारत में ब्रिटेन की तरह कार्यपालिका विधायिका से ही बनती है क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। इसके बावजूद भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह इतनी ताकतवर नहीं है कि उसके ऊपर सीमाएं आरोपित ना की जा सकें। **भारतीय न्यायपालिका** को अमेरिकी न्यायपालिका की तरह यह शक्ति प्राप्त है कि वह संसद द्वारा पारित कानून का **न्यायिक अवलोकन** कर सके और यदि वह कानून संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है तो उसे समाप्त कर सकें।

शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार

प्रकार I- राजनीतिक व्यवस्था दुनिया के हर समाज में हमेशा रही है, किंतु सरकार या शासन प्रणालियों की संरचना हमेशा एक समान नहीं रही है। शासन प्रणालियों के विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं।

प्रकार -2

शासन प्रणाली का वर्गीकरण कुछ अन्य दृष्टि- कोणों से भी किया जा सकता है। दो प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं :-

1. **केंद्र और प्रांतों के संबंधों के आधार पर :-**
   A. **परिसंघात्मक प्रणाली**
   B. **संघात्मक प्रणाली**
   C. **एकात्मक प्रणाली**
2. **विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर:-**
   A. **संसदीय प्रणाली**
   B. **अध्यक्षीय प्रणाली**

भारत की प्रणाली :-

भारतीय संविधान निर्माता इस प्रश्न को लेकर अत्यंत सजग थे कि भारत के लिए अध्यक्षीय प्रणाली बेहतर होगी या संसदीय प्रणाली?

काफी सोच विचार के बाद उन्होंने **संसदीय प्रणाली को चुना** जिसके दो प्रमुख कारण थे - प्रथम,भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के तहत संसदीय प्रणाली का पर्याप्त अनुभव हो चुका था तथा द्वितीय, **भारत में विद्यमान क्षेत्रीय,सामाजिक तथा धार्मिक वैविध्य** को देखते हुए संसदीय प्रणाली ज्यादा बेहतर प्रतीत हो रही थी।

1990 के दशक में जो राजनीतिक अस्थिरता की समस्या केंद्रीय स्तर पर उत्पन्न हुई उस समय कुछ लोगों ने यह कहा कि अध्यक्षीय प्रणाली को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए,किंतु अस्थिरता की समस्या का धीरे-धीरे समाधान हो गया और आज यह मानने में कोई समस्या नहीं है

कि भारतीय समाज की विशिष्ट जरूरतों की पूर्ति के लिए संसदीय प्रणाली का ही चयन किया जाना उपयुक्त था।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- भू-भाग, जनसंख्या, सरकार तथा संप्रभुता राज्य के अनिवार्य तत्व हैं।
- विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका प्रायः सभी देशों में शासन के प्रमुख अंग हैं।
- शासक समूह में शामिल व्यक्तियों के संख्या के आधार पर राजतंत्र/तानाशाही, अल्पतंत्र/गुट तंत्र तथा लोकतंत्र प्रमुख शासन प्रणाली हैं।
- विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर संसदीय तथा अध्यक्षीय प्रणाली शासन के प्रमुख प्रकार हैं।
- परिसंघात्मक शासन प्रणाली को **'अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन' कहा जाता है।**
- संघात्मक शासन प्रणाली को **'अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन'** कहा जाता है। संघात्मक से तात्पर्य है राज्यों का केन्द्र से अधिक शक्तिशाली होना।
- **एकात्मक प्रणाली** को **'विनाशी राज्यों** का **अविनाशी संगठन'** कहा जाता है।
- संसदीय प्रणाली में विधायिका सामान्यतः **निम्न सदन** तथा **उच्च सदन** में विभाजित रहती है।
- संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति या राज्याध्यक्ष / राष्ट्र अध्यक्ष की भूमिका सामान्यतः प्रतीकात्मक होती है, वास्तविक रुप से शासन पर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता।

भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना :-

ब्रिटिश संवैधानिक योजना :-

- ब्रिटिश शासन प्रणाली **"संवैधानिक राजतंत्र"** पर आधारित है। 1688 ई. से पहले ब्रिटेन में राजतंत्र चलता था, किंतु 1688 ई. में हुई गौरवमयी क्रांति ने राजतंत्र को हटाकर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी। इसका अर्थ है कि आजकल ब्रिटेन में राजा के पास नाम मात्र की शक्ति है,जबकि वास्तविक शक्तियाँ संविधान के अंतर्गत काम करने वाली संस्थाओं जैसे संसद के पास आ गई हैं।
- ब्रिटेन का **लोकतंत्र संसदीय प्रणाली** पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि **कार्यपालिका का गठन विधायिका अर्थात् ब्रिटिश संसद के सदस्यों में से ही होता** है। चूँकि संसदीय व्यवस्था का जन्म ब्रिटिश संसद से ही हुआ था इसलिए **संसदीय प्रणाली** को **वेस्टमिंस्टर प्रणाली** भी कहा जाता है। ध्यातव्य है कि 'वेस्टमिंस्टर' लंदन का वह स्थान है,जहां ब्रिटिश संसद भवन स्थित है।
- ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, इसका अर्थ यह है कि यहाँ औपचारिक रूप से गठित किसी संविधान सभा ने कोई ऐसा अकेला दस्तावेज तैयार नहीं किया है,जिसे ब्रिटिश संविधान की संज्ञा दी जा सके।
- ब्रिटेन की संसद अत्यधिक शक्तिशाली है जिसका मूल कारण संविधान का अलिखित होना है। क्योंकि संविधान संसद की शक्तियों पर कोई नियंत्रण लागू नहीं करता, इसलिए **ब्रिटेन की संसद विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया से ही संविधान को बदल सकती है।** यही कारण है कि ब्रिटिश संविधान को सुनम्य या लचीला संविधान भी कहा जाता है।
- ब्रिटेन की शासन प्रणाली **एकात्मक** है, संघात्मक नहीं। एकात्मक शासन का अर्थ है कि स्थानीय शासन की इकाइयों को कानून बनाने का स्वतंत्र अधिकार नहीं है उन्हें ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार ही कार्य करना होता है।
- ब्रिटिश संसद के **दो सदन** हैं :- **कॉमन्स सभा तथा लॉर्ड्स सभा**। कॉमन्स सभा को निचला सदन भी कहा जाता है और लॉर्ड्स सभा को उच्च सदन कहते हैं।
- ब्रिटिश कार्यपालिका एक मंत्रीपरिषद् के अधीन काम करती है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
- ध्यातव्य है कि सामान्यतः लॉर्ड्स सभा के सदस्य राजनीति में भाग नहीं ले सकते। ऐसे बहुत कम उदाहरण हुए हैं वहां लॉर्ड्स सभा के सदस्यों ने राजनीतिक पद संभाले हैं।
- इंग्लैंड की न्यायपालिका सामान्यतः कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से मुक्त है। हालांकि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत वहां शक्तियों के पृथक्करण की वैसी गुंजाइश नहीं है, जैसी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस दृष्टि से भी ब्रिटिश संसद न्यायपालिका से बहुत अधिक शक्तिशाली है।
- **2010 में इंग्लैंड में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया** है, जिसमें **1अध्यक्ष, 1उपाध्यक्ष तथा 10 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति** का प्रावधान है। वस्तुतः यह 12

अध्याय – 2

संविधान सभा

- भारत में **संविधान सभा** के गठन का विचार वर्ष **1934 में पहली बार एम० एन. रॉय ने रखा ।**
- 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की ।
- 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की स्वतंत्र भारत के **संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जायेगा** । नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे **1940 के अगस्त प्रस्ताव** के रूप में जाना जाता है।
- **क्रिप्स मिशन 1942 में भारत** आया ।

क्रिप्स मिशन

- लॉर्ड **सर पैथिक लारेंस** (अध्यक्ष)
- ए. वी. अलेक्जेंडर
- सर स्टेफोर्ड क्रिप्स
- कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों के अनुसार **नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ** । मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार का होना था –
- सविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी थी । इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को और 93 सीटें देसी रियासतों को दी जानी थी ।
- हर ब्रिटिश प्रांत एवं देसी रियासत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी । आमतौर पर प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन होना था ।
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को दी गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था । यह तीन समुदाय थे :- मुस्लिम, सिख व सामान्य (मुस्लिम और सिख को छोड़कर) ।
- प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के **सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था** के अनुसार किया जाना था ।
- देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन चुनाव द्वारा नहीं, बल्कि रियासत के प्रमुखो द्वारा किया जाना था ।

स्पष्ट है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से निम्नांकित सभा थी ।

उपरोक्त योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए । इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे दलों व निर्दलीय सदस्यों को 15 सीटें मिली । देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें नहीं भर पाए क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय ले लिया था ।

आक्षेप किया जा सकता है कि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था । तब भी यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि इसमें प्रत्येक समुदाय :- हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को स्थान प्राप्त हुआ था । इसमें पुरुषों के साथ पर्याप्त संख्या में महिलाएँ भी थी । महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ दे तो सभा में उस समय के भारत के सभी प्रसिद्ध व्यक्तित्व शामिल थे।

5. **निर्वाचन पद्धति :-** एकल संक्रमणीय वयस्क मताधिकार पद्धति

सदस्य	
ब्रिटिश भारत (296 निर्वाचित)	**देशी रियासत (93 सीट)**
292 प्रांतों से	उच्च आयोगीय प्रांत (4 सीट)
-	दिल्ली
-	अजमेर मेरवाड़ा
-	कुर्ग
-	बलुचिस्तान

उद्देश्य प्रस्ताव :-

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई । मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग उठाई । सभा के सबसे **वरिष्ठ सदस्य डॉ सच्चिदानंद सिन्हा** को सभा का **अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया । 2 दिन** पश्चात **11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को** सभा का **स्थाई अध्यक्ष बनाया** गया, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया । संक्षेप में इस प्रस्ताव की मुख्य बातें निम्नलिखित थी :-

- भारत को एक स्वतंत्र तथा संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए ।
- भारत की संप्रभुता का स्रोत भारत की जनता होगी।
- इस गणराज्य में भारत के समस्त नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समानता प्राप्त होगी।
- भारत के समस्त नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति,संस्था बनाने,कोई व्यवसाय करने,किसी भी धर्म को मानने या न मानने कि स्वतंत्रता होगी।
- अल्पसंख्यकों,अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे ।
- देश की एकता को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा ।
- भारत की प्राचीन सभ्यता को उसका उचित स्थान व अधिकार दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति व मानव कल्याण में उसका योगदान सुनिश्चित किया जाएगा।

इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव उन भावनाओं व इच्छाओं का सूचक था, जिसकी उपलब्धि के लिए भारतवासी पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की 'प्रस्तावना' का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया।

संविधान सभा की बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाये रखा जायेगा तथा इसके भू-क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जायेगी।

Note :- संविधान सभा एक विधायिका के रूप में कार्य करती थी इनमें से एक था - स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था, देश के लिए आम कानून लागू बनाना। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी।

जब सभा की बैठक बतौर विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता जी. वी. मावलंकर तथा जब सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता डॉ. राजेन्द्र प्रसाद' करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर, 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही।

संविधान सभा की कार्य प्रणाली

अस्थायी अध्यक्ष - सच्चिदानन्द सिन्हा

अध्यक्ष - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

उपाध्यक्ष - डॉ. एच. सी मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी

- 13 दिसम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधन सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया।

संविधान सभा के अन्य कार्य

- मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता।
- 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया।
- **24 जनवरी 1950 को राजेन्द्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति चुनना।**
- 2वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 11 बैठके हुई, लगभग 60 देशों का संविधान का अवलोकन, इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ कुल खर्च 64 लाख रुपया आया।
- 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अन्तिम बैठक हुई।

संविधान सभा की समितियां

समिति का नाम	अध्यक्ष
प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन समिति	राजेन्द्र प्रसाद
संचालन समिति	राजेन्द्र प्रसाद
वित्त एवं स्टाफ समिति	राजेन्द्र प्रसाद
प्रत्यय-पत्र संबंधी समिति	अलादि कृष्णास्वामी अय्यर
आवास समिति	बी पट्टाभि सीतारमैय्या
कार्य संचालन संबंधी समिति	के.एम. मुन्शी
राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति	राजेन्द्र प्रसाद
संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति	जी.वी. मावलंकर
राज्य संबंधी समिति	जवाहर लाल नेहरू
मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति	वल्लभ भाई पटेल
अल्पसंख्यकों की उप-समिति	एच.सी. मुखर्जी
मौलिक अधिकारों संबंधी उप-समिति	जे.बी. कृपलानी
पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और आसाम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उपसमिति	गोपीनाथ बारदोलोई
अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों (असम के क्षेत्रों को छोड़कर) संबंधी उपसमिति	ए.वी. ठक्कर
संघीय शक्तियों संबंधी समिति	जवाहर लाल नेहरू
संघीय संविधान समिति	जवाहर लाल नेहरू
प्रारूप समिति	बी.आर. अम्बेडकर

प्रारूप समिति

- अंबेडकर (अध्यक्ष)
- एन गोपालस्वामी आयंगार
- अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
- डॉ. के.एम मुंशी
- सैय्यद मोहमद सादुल्ला
- एन. माधव राव (बी. एल. मित्रा की जगह)
- टी.टी. कृष्णामाचारी (डी.पी खेतान की जगह)

प्रारूप समिति का गठन - 29 अगस्त 1947 नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

डॉ. B. R. अम्बेडर मे 'द कॉन्सटिट्यूशन एज सैटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ड' प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर, 1949 को पारित घोषित कर दिया गया, और इस अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए।

संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर, 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं की संविधान सौंपा।

नए विधि मंत्री डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा।

अंतरिम सरकार	
जवाहर लाल नेहरू	स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल (1947)
सरदार वल्लभभाई पटेल	गृह, सूचना एवं प्रसारण
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि
जॉन मथाई	उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति
जगजीवन राम	श्रम
सरदार बलदेव सिंह	रक्षा
सी. एच. भाभा	कार्य, खान एवं उर्जा
लियाकत अली खां	वित्त
अब्दुर रब निश्तार	डाक एवं वायु
आसफ अली	रेलवे एवं परिवहन
सी. राजगोपालाचारी	शिक्षा एवं कला
आई. आई. चुंदरीगर	वाणिज्य
गजनफर अली खान	स्वास्थ्य
जोगेंद्र नाथ मंडल	विधि

स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमण्डल (1947)

जवाहर लाल नेहरू	प्रधानमंत्री, राष्ट्रमण्डल तथा विदेशी मामलों
सरदार वल्लभभाई पटेल	गृह, सुचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि
मौलाना अबुल कलाम आजाद	शिक्षा
डॉ. जॉन मथाई	रेलवे एवं परिवहन
आर. के. षणमुगम शेट्टी	वित्त
डॉ. बी. आर. अंबेडकर	विधि
जगजीवन राम	श्रम
सरदार बलदेव सिंह	रक्षा
राजकुमारी अमृत कौर	स्वास्थ्य
सी. एच. भाभा	वाणिज्य
रफी अहमद किटवई	संचार
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	उद्योग एवं आपूर्ति
वी. एन. गाडगिल	कार्य, खान एवं ऊर्जा

सारांश

- मुगल बादशाह शाह आलम ने 1764 में बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी को भारत में दीवानी अधिकार दिए।
- **इसे** ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री **विलियम** पिट्स द्वारा पुनः स्थापित किया गया।
- बजट की व्यवस्था को ब्रिटिश कालीन भारत में **1860** से शुरू किया गया।
- घोषणा ने स्थापित किया कि ब्रिटिश शासक की सरकार की नीति प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने और स्वशासन संस्थाओं का क्रमिक विकास करने की थी, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के आंतरिक भाग के रूप में भारत उत्तरदायी सरकार की प्रगतिशील प्राप्ति की जा सके।
- यह भारत में उच्च नागरिक सेवाओं (1923-24) पर ली आयोग की सिफारिशों पर किया गया।
- भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसे राजशाही की संस्तुति मिली।
- यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 से लागू हुआ।
- दो राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण रेडक्लिक की अध्यक्षता वाले सीमा आयोग ने किया। पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पूर्वी बंगाल, उत्तर-पश्चिमी सीमांत क्षेत्र एवं असम का सिलहट जिला शामिल किया।
- ब्रिटिश सरकार के 3 जून 1947 के बयान का राजनीतिक परिणाम यह हुआ कि जनमत संग्रह का पालन करके उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान पाकिस्तानी राज्य के भू-भाग का हिस्सा बन गए और नतीजन इस क्षेत्र के जनजातीय इलाके इसी राज्य या शासन के अंतर्गत आ गए।

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न :-

1. भारत में ब्रिटिश शासन काल की अवधि में बनाए गए निम्न अधिनियमों में से निक्षेपण अधिनियम' के नाम से जाना जाता है?

A. भारत शासन अधिनियम, 1919
B. भारत परिषद् अधिनियम, 1909
C. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892
D. भारत शासन अधिनियम, 1935

उत्तर – A

2. योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था ?

A. ली आयोग B. मैकाले समिति
C. इसलिंगटन D. मैक्सवेल समिति

उत्तर – B

3. निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?

A. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892 : निर्वाचन का सिद्धांत
B. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909 : उत्तरदायी सरकार
C. भारत शासन अधिनियम, 1919 : प्रांतीय स्वायत्तता
D. भारत शासन अधिनियम, 1935 : राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका

उत्तर – A

4. भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित थी?

A. संघीय व्यवस्थापिका
B. प्रांतीय व्यवस्थापिका
C. गवर्नर जनरल
D. प्रांतीय गवर्नर

उत्तर – C

5. निम्न में से किस अधिनियम के प्रान्तों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गयी ?

A. भारत शासन अधिनियम, 1919
B. भारत शासन अधिनियम, 1935
C. भारत परिषद् अधिनियम, 1909
D. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892

उत्तर – A

6. भारत शासन अधिनियम, 1919 मुख्यतया: किस पर आधारित था?

A. मार्ले-मिंटो सुधार
B. मांटेग्यू - चेम्सफोर्ड सुधार
C. रैमजे मैक्डोनाल्ड अवार्ड
D. नेहरू रिपोर्ट

उत्तर – B

7. भारत शासन अधिनियम, 1935 की प्रमुख विशेषताएं हैं ?

1. भारत में परिषदों का उन्मूलन
2. केन्द्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका
3. राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का उन्मूलन
4. संघीय न्यायालय की स्थापना

A. 2 एवं 3
B. 1, 3 एवं
B. 1, 2, एवं 3
D. 1,2, 3, 4

उत्तर – D

8. निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी?

A. विनियमितीकरण अधिनियम, 1773
B. पिट्स इंडिया अधिनियम, 1784
C. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861
D. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892

उत्तर – A

<u>गत परीक्षाओं में आये हुये प्रश्न :-</u>

1. उद्देश्य प्रस्ताव में प्रत्याभूत स्वतंत्रता के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए?
2. "आजाद भारत का पहला राजनीतिक चरित्र का नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र का था। " केवल तथ्यों के साथ कथन का समर्थन या विरोध कीजिए

***अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न :-**

1. संवैधानिक नैतिकता की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्विक फलकों पर आधारित है ' प्रसांगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से "संवैधानिक नैतिकता" के सिद्धांत का वर्णन कीजिए?
2. संविधान का सभा का चुनाव सीधे भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था विचार करें?
3. 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा की भूमिका का वर्णन करें ?
4. क्या भारत को राष्ट्रमंडल खेलों की सदस्यता त्याग देनी चाहिए ?
5. 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का वर्णन कीजिए?
6. पिट्स इंडिया एक्ट को समझाइये?
7. सम्प्रदायिक अवार्ड का वर्णन कीजिए?
8. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की विवेचना कीजिए ?

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

3. सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन हैं?

a. नीलम संजीव रेड्डी b. राजेन्द्र प्रसाद

c. डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम d. प्रणव मुखर्जी

उत्तर – A

4. भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत् संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जाता हैं?

a. अनुच्छेद 52 b. अनुच्छेद 61

c. अनुच्छेद 74 d. अनुच्छेद 78

उत्तर – B

5. राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल की जा सकती हैं-

a. लोकसभा

b. राज्यसभा

c. संसद के किसी भी सदन में

d. संसद के दोनों सदनों के संयुक्य अधिवेशन

उत्तर – C

6. भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन नहीं होते हैं?

a. लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य

b. राज्यों की विधान परिषद् के सदस्य

c. दिल्ली और पुदुचेरी केन्द्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

d. उत्तर पूर्व विधानसभाओं सहित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

उत्तर – B

7. केन्द्र शासित प्रदेश जिनकी अपनी निर्वाचित विधानसभा नहीं है, के प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार हैं?

a. उपराज्यपाल b. राज्यपाल

c. निकटम राज्य सरकार d. राष्ट्रपति

उत्तर – D

8. निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं हैं?

a. राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करना

b. राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति

c. मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

d. राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति

उत्तर – B

अध्याय – 10

प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्

- संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय प्रणाली में, राष्ट्रपति, नाममात्र कार्यपालिका प्रधान की जबकि **प्रधानमंत्री वास्तविक राजप्रमुख की भूमिका में होता हैं।** इसका तात्पर्य यह है कि **राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता हैं। जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद् और अंतर्राज्यीय परिषद् का पदेन अध्यक्ष होता हैं।** परम्परागत रूप से, कुछ विशिष्ट मंत्रालयों/विभागों जिन्हें प्रधानमंत्री किसी अन्य को आवंटित नहीं करते हैं, उन विभागों की जिम्मेदारी स्वयं प्रधानमंत्री पर होती हैं।
- सामान्यतया प्रधानमंत्री निम्नलिखित विभागों की जिम्मेदारी लेता हैं:
- मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति
- कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
- परमाणु ऊर्जा विभाग तथा
- अंतरिक्ष विभाग आदि।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति

- संविधान द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं की गई हैं। **अनुच्छेद 75 के अनुसार, केवल इस बात का प्रावधान किया गया हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।** हालाँकि, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में किसी को भी नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। सरकार की संसदीय प्रणाली की परंपराओं के अनुसार **राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा में बहुमत दल के नेता को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।**
  - लेकिन, जब किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत विवेक के आधार पर प्रधानमंत्री का चयन और उसकी नियुक्ति कर सकता हैं। ऐसी स्थिति में सामान्यतः वह सबसे बड़ी पार्टी के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता हैं और उसे एक निश्चित समय सीमा के अंदर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता हैं।

प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य

प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के तहत किया जा सकता हैं:-

1. मंत्रिपरिषद् के संबंध में

- प्रधानमंत्री द्वारा जिन व्यक्तियों की सिफारिश् की जाती हैं, राष्ट्रपति (सिर्फ) उन्हीं को मंत्री के रूप में नियुक्त करता हैं।
- प्रधानमंत्री अपनी इच्छानुसार मंत्रियो को उनके विभाग आवंटित करता हैं और उनमें बदलाव भी कर सकता हैं।
- यदि प्रधानमंत्री और उसके किसी अधीनस्थ मंत्री के मध्य किसी मुद्दे पर मतभेद उत्पन्न होता हैं तो वह उस मंत्री को

इस्तीफा देने के लिए कह सकता है या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने के लिए कह सकता है।

- प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद् की बैठक की अध्यक्षता करता है और बैठक के निर्णय को विशेष रूप से प्रभावित भी करता है।
- वह सभी मंत्रियों का मार्गदर्शन, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है और उनकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है।
- **प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद् को समाप्त कर सकता है।**

2. राष्ट्रपति के संबंध में

- प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद् के मध्य संचार का प्रमुख माध्यम होता है। वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासनिक मामलों और विधायी प्रस्तावाना से संबंधित मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों के बारे में सूचित करता है।
- वह राष्ट्रपति की इच्छानुसार, संघ के प्रशासनिक मामलों और विधायी प्रस्तावों को उसके समक्ष प्रस्तुत करता है। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो किसी ऐसे मामले, जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय ले लिया गया हो लेकिन मंत्रिपरिषद् द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया हो, के संबंध में प्रधानमंत्री उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
- **प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को महत्त्वपूर्ण अधिकारियों जैसे: महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में सलाह देता है।**

3. संसद् के संबंध में-

- प्रधानमंत्री निचले सदन अर्थात् लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद् के सत्र को बुलाने की सलाह देता है।
- वह राष्ट्रपति को किसी भी समय लोकसभा को भंग करने के लिए कह सकता है।
- वह सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा करता है।

अन्य शक्तियाँ और कार्य

- प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद्, अंतर्राज्यीय परिषद् और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् का अध्यक्ष होता है। वह देश की विदेश नीति को आकार देने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है।
- वह आपात स्थिति के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होता है।
- राष्ट्र के नेता के रूप में वह अलग-अलग राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगो से मिलता है और उनकी समस्याओं के बारे में उनसे ज्ञापन प्राप्त करता है। वह सत्ता में स्थापित दल का नेता होता है।
- वह प्रशासनिक सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है।

प्रधानमंत्री का राज्यसभा का सदस्य होना

- संविधान प्रधानमंत्री को राज्यसभा का सदस्य होने से निषेध नहीं करता है। हालाँकि, संसदीय लोकतंत्र की मांग के अनुसार प्रधानमंत्री को लोकसभा, जो प्रत्यक्षतः जनता द्वारा चुनी जाती है, की सदस्यता प्राप्त कर सर्वोत्कृष्ट परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए।
- ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यसभा में सदय अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। यहाँ यह तर्क भी दिया जाता है कि संघ के प्रधानमंत्री को लोकसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में होना चाहिए।
- उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का हाउस ऑफ कॉमंस का सदस्य होना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन भारत में किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो संसद सभा का सदस्य न हों। ऐसी स्थिति में नियुक्त व्यक्ति को 6 माह के भीतर संसद् के किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है। उदाहरणस्वरूप श्रीमती इंदिरा गाँधी, पी.वी. नरसिंह राव, एच.डी. देवगौड़ा, डॉ. मनमोहन सिंह आदि नियुक्ति के समय संसद् के सदस्य नहीं थे।

सरकार की प्रधानमंत्री प्रणाली

- सरकार के प्रधानमंत्री प्रणाली के स्वरूप में प्रधानमंत्री, कार्यपालिका में अधिक प्रभावी रहता है। आमतौर पर यह मामला तब नजर आता है जब सत्ता में एक दल का प्रभुत्व हो और प्रधानमंत्री उस दल का निर्विवाद नेता हो। ऐसे परिदृश्य में प्रधानमंत्री के फैसले को आमतौर पर मंत्रिमंडल मंजूरी दे देता है। इस प्रकार वास्तविक अर्थों में ये निर्णय सामूहिक निर्णय नहीं होते इस प्रणाली के लाभ-हानि निम्नलिखित हैं:

लाभ	***हानि***
समय पर निर्णय।	निर्णय जल्दबाजी में और राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकते हैं।
सरकार मजबूती से निर्णय लेती है।	विवेचना के बाद भी प्रायः निर्णय नहीं लिए जाते।
प्रशासन को स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं।	अतिरिक्त संवैधानिक प्राधिकारी प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते है।

प्रधानमंत्री पद पर गठबंधन की राजनीति का प्रभाव

- सामान्यत; यह देखा जाता है कि गठबंधन सरकार के प्रमुख होने की स्थिति में प्रधानमंत्री के अधिकार कम हो जाते हैं। इसका कारण एक खंडित जनादेश की स्थिति में गठबंधन सरकार का गठन है। कई बार, घटक दलों के सदस्य वास्तविक प्रधानमंत्री के बजाए, अपन दल के नेता को प्रधानमंत्री मानने लगते हैं। हालाँकि, यह प्रवृत्ति प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व एवं गठबंधन की राजनीति की प्रकृति के साथ बदलती रहती है तथा यह मनोवृत्ति उस शैली पर भी महत्त्वपूर्ण रूप से निर्भर होती है, जिसके द्वारा गठबंधन का प्रबंधन किया जाता है। ऐसे मामलों में, प्रधानमंत्री की भूमिका, बहुमत दल के एक नेता के बजाए, गठबंधन सरकार के प्रबंधक जैसी हो जाती है।

विभाग से संबंधित कोई विषय मंत्रिमंड़ल की कार्यसूची में होता है। तो उसे बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है ।

- **राज्य मंत्री:-** इस मंत्री के पास किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता और वह कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करता है । जिस मंत्री के अधीन वह कार्य करता है, वही उसे कार्य आवंटित करता है।
- **उपमंत्री:-** ऐसा मंत्री किसी कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन कार्य करता है । जिस मंत्री के अधीन वह कार्य करता है वही उसे कार्य आवंटित करता है।

मंत्रिपरिषद् के कार्य

- मंत्रिपरिषद् मुख्य रूप से राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देता है । मंत्रिपरिषद् वास्तव में केन्द्र सरकार से जुड़े मामलों के प्रशासनिक कर्तव्य से आबद्ध है । pwWafd मंत्रालय भारत सरकार का सर्वोच्च अंग है, अतः यह देश के प्रशासन से संबंधित सभी नीतियों का निर्धारण करता है । इस पर आंतरिक और विदेश नीतियों के निर्माण का उत्तरदायित्व होता है । देश की शांति ओर समृद्धि काफी हद तक मंत्रालय द्वारा निर्मित नीति पर निर्भर करती है । मंत्री न केवल अपने कार्यकारी विभागों के प्रमुख होते हैं, बल्कि ये विधायिका में बहुमत दल के महत्त्वपूर्ण सदस्य होते हैं या उन्हे विधायिका में कम से कम बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है ।
- मंत्रालय, राज्य की आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है । मुद्रा, बैंकिंग, वाणिज्य, व्यापार, बीमा और अन्य योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा विनियमित तथा नियंत्रित किए जाते हैं । संक्षेप में, मंत्रिपरिषद् केंद्र सरकार के प्रशासनिक तंत्र में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है ।

मंत्रिमंड़ल (Cabinet)

- **मंत्रिमंड़ल राजनीतिक एकरूपता के सिद्धांत पर कार्य करता है ।** कुछ अपवादों को छोड़ दे तो सामान्यतः प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंड़ल के सदस्य एक ही पार्टी के होते है। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्री को एक समान विचार रखने तथा एक नीति का प्रयोग करने हेतु बाध्य करता है । यदि मंत्रियों के मध्य मतभेद हो तो उसे मंत्रिमंड़ल की गोपनीय बैठकों में दूर कर लिया जाता है । वस्तुतः आम जनता के बीच वे संपूर्ण एकता प्रदर्शित करते है।

मंत्रिमंड़ल के कार्य

- नीति निर्माण: मंत्रिमंड़ल (कैबिनेट) राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विषयों से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है । सभी नीतिगत निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं तथा प्रधानमंत्री उन निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करता है ।
- **विधायी शक्तियाँ :- सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं, अतः विधि निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं ।** संसद में लगभग सभी विधेयक मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं तथा उन्हें प्राप्त बहुमत के कारण आसानी से पारित भी हो जाते है। हालाँकि मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयको पर पहले मंत्रिमंड़ल द्वारा विचार करके उन पर सहमति दी जाती है। मंत्रिमंड़ल विधेयक में ऐसे परिवर्तनों को शामिल कर सकता है जो उसे आवश्यक लगते हैं ।
- वित्तीय शक्तियाँ कैबिनेट, सरकार के सभी व्ययों और इन व्ययों की पूर्ति के लिए आवश्यक राजस्व के स्त्रोतों के व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। **वित्तमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला वार्षिक बजट मंत्रिमंड़ल के नियंत्रण में होता है ।** यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि बजट के प्रस्ताव अत्यधिक गोपनीय रखे जाते हैं तथा संसद में बजट की प्रस्तुति से केवल एक घंटे पूर्व ही वित्तमंत्री द्वारा मंत्रिमंड़ल को विश्वास में लिया जाता है । कैबिनेट बजट में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती । परंतु, संसद में बजट प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान वह परिवर्तन करने में समर्थ है। तत्पश्चात्, इस प्रकार किये गये परिवर्तनों की घोषणा वित्तमंत्री के द्वारा की जाती है । कैबिनेट आर्थिक और वित्तीय नीतियों का अनुमोदन तथा वित्त आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी होती है ।
- **नियुक्तियाँ करने की शक्ति:-** यधपि राष्ट्रपति राज्य के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति की विस्तृत शक्ति धारण करता है, परंतु वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्तियाँ मंत्रिमंड़ल की सलाह के आधार पर की जाती है । मंत्रिपरिषद् की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है और वस्तुतः राष्ट्रपति के सभी कार्य इसके ही द्वारा संपन्न किये जाते है । हालाँकि, राष्ट्रपति सिर्फ एक बार मंत्रिपरिषद् से इसकी सलाह पर पुनर्विचार का आग्रह कर सकता है । पुनिर्विचार के उपरांत दी गयी सलाह को माने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है । (५५ वाँ संविधान संशोधन अधिनियम)
- मंत्रिमंड़ल एक निगमित निकाय है । यह न सिर्फ विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है अपितु, साथ ही अंतर-विभागीय विवादों का निराकरण भी करता है ।

  एम.बी. पाईली ने मंत्रिमंड़ल को "राष्ट्रीय नीतियों का निर्माता, उच्चतम नियुक्ति प्राधिकारी, अंतर-विभागीय विवादों का मध्यस्थ और सरकार में समन्वय का सर्वोच्च अंग" कहा है ।

मंत्रिमंड़लीय समितियाँ (Cabinet Committees)

- मंत्रिमंड़ल पर अतिरिक्त कार्य के बोझ को कम करने के लिए मंत्रिमंड़लीय समितियों का गठन किया गया । सरकार की कार्यप्रणाली के पुनर्गठन पर एन. गोपालस्वामी अयंगर की रिपोर्ट (1949) में कुछ सुनिश्चित कार्यों हेतु सचिवालय एवं यथोचित अंगो से युक्त स्थायी समितियों (स्थायी चरित्र से युक्त) के निर्माण की अनुशंसा की गयी थी । ये 'विकेन्द्रीकृत आधार पर समन्वय के आयोजन' के उपकरण थे ।

- इस अनौपचारिक निकाय में प्रधानमंत्री अपने दो से चार प्रभावशाली, पूर्ण विश्वासी सहयोगी रखता है जिनसे वह हर समस्या की चर्चा करता है। यह प्रधानमंत्री को महत्त्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देती है। और महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करती है। इसमें न केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। अपितु इसके बाहर के, जैसे प्रधानमंत्री के मित्र व पारिवारिक सदस्य भी शामिल होते है।

मंत्रिपरिषद् एवं मंत्रिमंडल में अंतर	
मंत्रिपरिषद्	**मंत्रिमंडल**
1. यह एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते है।	1. यह एक लघु निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते है।
2. इसमें मंत्रियों की तीनों श्रेणियां - कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री व उपमंत्री होती है।	2. इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते है अतः, यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है।
3. यह सरकारी कार्यों हेतु एक साथ बैठक नही करती है। इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है।	3. यह एक निकाय की तरह है। यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करता है, और सरकारी कार्यो के संबंध में निर्णय करता है इसके कार्यकलाप सामूहिक होते है।
4. इसे सभी शक्ति प्राप्त है परंतु कागजों में	4. ये वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद् की शक्तियों का प्रयोग करता है और उसके लिए कार्य करता है।
5. इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है।	5. यह मंत्रिपरिषद् को राजनैतिक निर्णय लेकर निर्देश देता है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते है।
6. यह मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है।	6. यह मंत्रिपरिषद् द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करता है।

<u>वे मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री बने -</u>

	राज्य के मुख्यमंत्री	**प्रधानमंत्री कार्यकाल**
मोरारजी देसाई	बम्बई राज्य	1977 - 1979
चरणसिंह	उत्तरप्रदेश	1979 - 1980
वी. पी. सिंह	उत्तरप्रदेश	1989 - 90
पी. वी नरसिम्हा राव	आंध्रप्रदेश	1991 - 1996
एच. डी. देवगौड़	कर्नाटक	1996 - 1997
नरेंद्र मोदी	गुजरात	2014 - At present

मंत्रिपरिषद और मंत्रीमंडल में अन्तर :-

मंत्रिपरिषद	**मंत्रीमंडल**
यह एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 - 70 मंत्री होते है।	यह एक लघु निकाय है जिसमें 15 - 20 मंत्री होते है।
इसमें मंत्रीयों की तीन श्रेणीयाँ - कैबिनेट, राज्यमंत्री व उपमंत्री होते है।	इसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होते है ; अतः यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है।
यह सरकारी कार्यों के लिए एक साथ बैठक नहीं करती। इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है।	यह एक निकाय की तरह है, यह सामान्यतः हफ्ते में एक एक बार बैठक करता है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करता है, इसके **कार्यकलाप** सामूहिक होते है।
इसे सभी शक्तियाँ प्राप्त है परन्तु कागजों में।	ये वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है और उसके लिए कार्य करता है।
इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रीमंडल करता है।	यह मंत्रिपरिषद को राजनैतिक निर्णय लेकर निर्देश देता है। तथा ये निर्देश सभी मंत्रीयों पर **बाध्यकारी** होते है।
यह मंत्रीमंडल के निर्णयों को लागू करती है।	यह मंत्रिपरिषद द्वारा अपने **निर्णयों** के अनुपालन की देखरेख करता है।
यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।	यह मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करता है।

हरियाणा	5
छत्तीसगढ़	5
जम्मू-कश्मीर	4
हिमाचल प्रदेश	3
उत्तराखण्ड	3
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3
असम	1
गोवा	1
मणिपुर	1
मेघालय	1
मिजोरम	1
नागालैंड	1
पुदुचेरी	1
सिक्किम	1
त्रिपुरा	1
अरुणाचल प्रदेश	1

संसद में नेता

लोकसभा का अध्यक्ष एवं अन्य (अनुच्छेद 93)	राज्यसभा का उप-सभापति एवं अन्य (अनुच्छेद 89)
11वीं लोकसभा से सदन में ऐसी परंपरा बन गई है कि लोकसभा का अध्यक्ष सत्ताधारी दल से संबंधित अपना होता है और उपाध्यक्ष विपक्षी दल से संबंधित होता है	राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सभापति को त्यागपत्र सौंपता है।
उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के अध्यक्ष के बाद होता है।	राज्यसभा का सभापति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है।

इनका निर्वाचन संबंधित सदन के सदस्यों में से किया जाता है और निर्वाचन की तिथि का निर्धारण अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है।

- यह अध्यक्ष या सभापति के अधीनस्थ नहीं होते हैं बल्कि सदन के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं।
- इन्हें संसद द्वारा निर्धारित वेतन एवं भते प्रदान किए जाते हैं जो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
- पद मुक्ति की प्रक्रिया अध्यक्ष एवं सभापति के ही समान होती है।
- **अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। (अनुच्छेद 108)।**
- यदि इसे किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो यह स्वतः ही उसका अध्यक्ष बन जाता है।

लोकसभा के सभापतियों/ राज्यसभा के उपसभापतियों की तालिकाः-

- इनका नामांकन अध्यक्ष/ सभापति द्वारा किया जाता है।
- इसमें 10 से अधिक सदस्य शामिल नहीं होते हैं।
- इनमें से कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का पीठासीन अधिकारी हो सकता है।
- जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो सभापति द्वारा निर्धारित तानिका के सदस्य द्वारा सदन की अध्यक्षता नहीं की जा सकती है। इस समय राष्ट्रपति द्वारा सदन के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है।
- इनके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है और यह भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं ।

सदन का नेता : सदन के नियमों के अंतर्गत (अर्थात् लोकसभा या राज्यसभा) (संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है), सदन के नेता का अभिप्राय प्रधानमंत्री (जिसका वह सदस्य है)है,या प्रधानमंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में मनोनीत कोई मंत्री जो सदन का सदस्य हो (अर्थात् लोकसभा और राज्यसभा) ।

- **विपक्ष का नेता** :- संसदीय नियमों के अनुसार (संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है) सदन की ऐसी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जिसके सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम दसवें हिस्से के बराबर हो उसके नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिलती है।
- उसे कैबिनेट मंत्री के सुविधाए प्रदान की जाती है। सबसे पहली बार 1969 में विपक्ष के नेता को मान्यता दी गई थी। 1977 में इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई।
- आईवर जेनिंग ने इसे वैकल्पिक प्रधानमंत्री की संज्ञा दी है।
- **व्हिप** :- व्हिप के पद का उल्लेख ना तो भारत के संविधान में, ना ही सदन के नियमों में और ना ही संसदीय विधि में किया गया है।
- यह संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है। **प्रत्येक राजनीतिक दल का संसद में सहायक नेता के रूप में अपना व्हिप होता है।**
- **इसका उद्देश्य अपनी पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखने और संबंधित मुद्दे के पक्ष या खिलाफ में पार्टी के अनुसार उनके सहयोग को सुनिश्चित करना होता है। यह संसद में सदस्यों के व्यवहार पर नजर रखता है।**
- यदि किसी दल का सदस्य व्हिप के निर्देशों का उल्लंघन करता है और पार्टी उसे यदि 15 दिन में क्षमा नहीं करे तो उसकी दल की सदस्यता समाप्त हो जाती है ।
- **परिसीमन [Delimi]**- "किसी राज्य के विभिन्न निर्वाचित मतदाताओं की संख्या में संतुलन बनाना ही परिसीमन कहलाता है।
- **1952, 63, 73, 2003. में परिसीमन किया जा चुका है।**

- **2026 तक राज्य वार लोकसभा सीटों की संख्या अपरिवर्तित रहेगी ।**
- वर्तमान में तेलंगाना की "मलकांन गिरी" सर्वाधिक मतदाताओं वाली लोकसभा सीट है।
- लक्षद्वीप में न्यूनतम मतदाता हैं।

राज्यसभा	लोकसभा
"अनुच्छेद 19 के अनुसार राज्यसभा को नयी "अखिल भारतीय योजना के गठन का अधिकार है।	मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
अनुच्छेद 249 के अनुसार 2/3 बहुमत से किसी विषय को राष्ट्रीयता महत्वता घोषित कर सकती हैं इस स्थिति में उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल सकता है।	धन विधेयक, वित्त विधेयक लोकसभा में पुनः गठित के अनुसार किये जाते हैं।

संयुक्त बैठक अनुच्छेद- 108

- कोई विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब दोनों सदनो द्वारा पारित कर दिया जाए।
- "किसी भी विधेयक का दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है। (धन विधेयक को छोड़कर)
- यदि कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित करने के बाद दूसरे सदन द्वारा खारिज कर दिया जाये अथवा 6 माह तक रोक लिया जाये तो इस स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलायी जा सकती हैं। संयुक्त बैठक में वह विधेयक साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।
- संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती हैं। उसकी अनुपस्थिती में लोकसभा
  उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति अथवा किसी अन्य वरिष्ठ सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जा सकती हैं।
  परन्तु उपराष्ट्रपति किसी भी स्थिति में इसकी अध्यक्षता नहीं करता

संसदो की निरर्हताएँ:-

- **अनुच्छेद- 102** में संसदों की निरर्हता का उल्लेख हैं। इस सन्दर्भ में कोई भी मुकदमा सबसे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता हैं।
- **अनुच्छेद- 103** में संसदो की निरर्हता का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता हैं।
- **अनुच्छेद- 101** यदि कोई सदस्य लगातार 60 बैठकों से अनुपस्थिति रहता हैं तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती हैं।
- **सुब्रह्मण्यम स्वामी** की सदस्यता आपातकाल इसी के तहत समाप्त की गयी थी।
- 1954 में **H.G. बुडगतल** ने रिश्वत लेने के आधार पर लोकसभा से इस्तीफा लिया था ।
- ऑपरेशन चक्रव्यूह व ऑपरेशन दुर्योधन के दौरान भी लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी।

सांसदों के विशेषाधिकार (Act-105)

अनुच्छेद - 105 के तहत सांसदों को विशेषाधिकार प्रदान किये गये हैं । सांसदों को संसद में या उसकी बैठकों में अभिव्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता दी गयी हैं। संसद तथा संसदीय बैठकों में कही गई कोई बात पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता हैं।
सांसदों के व्यक्तिगत आचरण पर आरोप नहीं किया जा सकता। (इसी आधार पर आर.के. करंजिया को दण्डित किया गया था)

- सत्र के 40 दिन पूर्व या 40 दिन पश्चात दीवानी मसलो पर सांसदों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता ।
- सत्र के दौरान आपराधिक मसलो में भी स्पीकर की अनुमति के बगैर सांसदों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता ।

कोरम – किसी भी सदन की बैठक उस स्थिति में संचालित [अनु. 100 (iii)] की जा सकती हैं, **जब सदन की कुल संदस्य संख्या का 10% उपस्थित हों। यही कोरम हैं।**
लोकसभा व राज्यपाल के नियमानुसार कोरम हेतु 1/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है ।

विपक्ष का नेता

प्रत्येक सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल को जिसे कम से कम 10% सीटे प्राप्त हों, विपक्ष का नेता घोषित किया जाता हैं ।

- 1977 से विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था ।
- 1966 में सर्वप्रथम संगठन कांग्रेस के राम सुमद्र सिंह को विपक्ष का नेता घोषित किया था।
- 1977 में लोकसभा में y-B-Chavan तथा राज्यसभा में कमलापति त्रिपाठी को विपक्ष का नेता घोषित किया गया।

सचेतक / Whip- प्रत्येक दल, संबंधित सदन में अपने दो पदाधिकारी की घोषणा करता हैं

1. संसदीय दल का नेता
2. सचेतक (Whip)

- सचेतक का मुख्य कार्य अपने दल में अनुशासन बनाये रखना हैं। दल-बदल विरोधी कानून उसी के निर्देशो पर आधारित होता हैं।
- संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अवकाश हो सकता हैं।
- संसद की वर्ष में 90 दिन बैठक होनी चाहिए ।

साधारण विधयेक और धन विधयेक में अंतर	
साधारण विधयेक	**धन विधयेक**
इसे लोकसभा या राज्यसभा में कही भी पुरः स्थापित किया जा सकता हैं।	यह सिर्फ लोकसभा में पुरः स्थापित किया जा सकता हैं ।

धन-विधेयक (अनुच्छेद- 110)

धन विधेयक पारित होने पर सरकार को धन एकत्र करने की अनुमति मिलती हैं ।

- ***धन विधेयक में 6 बिन्दु होते हैं - कर की दर बढ़ाया, घटाना, संचित निधि से धन निकालना या जमा करना, संचित निधि का लेखा एवं लेखा परीक्षण ।***
- *धन विधेयक पर लोकसभा का विशेषाधिकार होता है, राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती हैं। यदि किसी विधेयक में उपरोक्त 6 बातों के अतिरिक्त कुछ और भी होता है, तो उसे वित्त विधेयक कहा जाता है वित्त विधेयक पर राज्य सभा का समान अधिकार होता है।*
- ***विनियोग विधेयक - विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही सरकार संचित निधि से धन निकाल सकती हैं।***

धन-विधेयक (अनुच्छेद- 110)

धन विधेयक पारित होने पर सरकार को धन एकत्र करने की अनुमति मिलती हैं ।

- ***धन विधेयक में 6 बिन्दु होते हैं - कर की दर बढ़ाया, घटाना, संचित निधि से धन निकालना या जमा करना, संचित निधि का लेखा एवं लेखा परीक्षण ।***
- *धन विधेयक पर लोकसभा का विशेषाधिकार होता है, राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती हैं। यदि किसी विधेयक में उपरोक्त 6 बातों के अतिरिक्त कुछ और भी होता है, तो उसे वित्त विधेयक कहा जाता है वित्त विधेयक पर राज्य सभा का समान अधिकार होता है।*
- ***विनियोग विधेयक - विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही सरकार संचित निधि से धन निकाल सकती हैं।***

3. वित्त विधेयक

अनुच्छेद - 110- *यदि किसी विधेयक में केवल अनु. - 110 के प्रावधान हो तथा अन्य कोई प्रावधान न हो तो इसे धन विधेयक कहते हैं।*

अनु. 117 (1) *- यदि किसी विधेयक में अनु. 110 के प्रावधान हों और उनके साथ अन्य प्रावधान भी हों।*

- *यह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है।*
- *इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है लेकिन इसे इसके बाद साधारण विधेयक की भांति पेश किया जाता है।*

अनु. 117 (3) *- यदि किसी विधेयक में अनु. 110 का कोई भी प्रावधान नहीं हों तो लेकिन संचित निधि से संबंधित अन्य कोई प्रावधान हो, इसे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की कोई आवश्यकता होती।*

किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद सदन चर्चा शुरू करता है।

सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं लेकिन सभी वित्त विधेयक, धन विधेयक नहीं होते।

बजट के बाद सरकार संसद में विभिन्न प्रस्ताव के माध्यम से अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकती है।

1. ***अनुपूरक माँगे -*** *यह माँगें वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पूर्व संसद में रखी जाती है।*
2. ***अतिरिक्त मांगे -*** *यह माँगे वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद संसद में रखी जाती है।*
3. ***अपवाद माँगे -*** *यह माँगे विशेष प्रयोजन के लिये संसद में रखी जाती हैं।*
4. ***प्रत्यानुदान -*** *यह माँगें आपातकालीन स्थितियों का सामना करने के लिये संसद में रखी जाती हैं।*

प्रश्न. 15वीं लोकसभा में आंग्ल - भारतीय समुदाय के दो मनोनीत में से एक केरल से है और अन्य है?

(A) मिजोरम ***(B) गोवा से***
(C) छत्तीसगढ़ ***(D) मणिपुर***

उत्तर :-C

प्रश्न. भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी ?

(A) उत्तर प्रदेश में ***(B) बिहार***
(C) तमिलनाडु ***(D) दिल्ली***

उत्तर :-A

4. संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अन्तर :-

संसदीय व्यवस्था	***अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था***
*कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं। एक नाम **मात्र** का दूसरा वास्तविक*	*कार्यपालिका का एक ही प्रधान होता है।*
राष्ट्र अध्यक्ष व शासन अध्यक्ष अलग अलग होते हैं।	*राष्ट्रअध्यक्ष ही शासन अध्यक्ष होते हैं।*
शासनाध्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होता है बल्कि वह बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है।	*प्रायः शासनाध्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है वह बहुमत प्राप्त दल का नेता नहीं होता है।*
स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं होता क्योंकि मंत्रियों के पास दोहरी सदस्यता होती है वे कार्यपालिका के साथ विधायिका के भी सदस्य होते हैं। अर्थात कार्यपालिका विधायिका का ही एक भाग होता है।	*स्पष्ट शक्ति पृथक्करण होता है कार्यपालिका विधायिका पूर्णतयः पृथक्करण होते हैं अर्थात मंत्री विधायिका का सदस्य नहीं रह सकता।*

- लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति और उप-सभापति के वेतन व भत्ते भी संसद निर्धारित करती है। वह भारत की संचित निधि पर भारित है और वह संसद के वार्षिक मत के अधीन नहीं है।
- संसद के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति और उप-सभापति होते हैं इसके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल व राज्यसभा में उप-सभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है।
- संसद के दोनों सदनों में एक-एक 'विपक्ष का नेता ' होता है विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य कुल सदस्यों के दसवें हिस्से के करीब होने चाहिए।

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न

1. भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है ?
   (A) लोकसभा (B) राज्यसभा
   (C) प्रतिनिधि सभा (D) संसद **उत्तरः-D**

10. भारतीय संसद के कितने सदन हैं ?
   (A) एक (B) दो
   (C) तीन (D) चार **उत्तरः- B**

3. संसद के स्थायी सदन हैं ?
   (A) लोकसभा (B) राज्यसभा
   (C) उपयुक्त दोनों (D) इनमें से कोई नहीं
   उत्तरः-B

4. भारतीय संसद बनती है?
   (A) केवल लोकसभा द्वारा
   (B) राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा
   (C) लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा
   (D) लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा
   उत्तर :- (D)

5. निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग्य नहीं है ?
   (A) राष्ट्रपति (B) उपराष्ट्रपति
   (C) लोकसभा (D) राज्यसभा
   उत्तरः-B

6. राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन गलत है ?
   (A) राज्यसभा एक स्थायी निकाय है
   (B) इसमें 3 अप्रैल 1952 को विधिवत् बनाया गया था।
   (C) राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
   (D) राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं। **उत्तर :-D**

7. लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है?
   (A) राष्ट्रपति (B) उपराष्ट्रपति
   (C) प्रधानमंत्री (D) लोकसभा अध्यक्ष
   उत्तरः-D

8. निम्नलिखित में किस राज्य में द्विपक्षीय विधायिका नहीं है।
   (A) महाराष्ट्र (B) बिहार
   (C) प. बंगाल (D) आंध्र प्रदेश
   उत्तर :-C

9. राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं।
   (A) राज्यसभा के चुने हुए सदस्य
   (B) लोकसभा के चुने हुए सदस्य
   (C) लोकसभा राज्यसभा के चुने हुए सदस्य
   (D) लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों के चुने हुए सदस्य
   उत्तर :-D

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न

1. अनुच्छेद 352 एवं अनुच्छेद 356 के मध्य सेतु के रूप में अनुच्छेद 355 की भूमिका को स्पष्ट करें?
2. धन विधेयक को परिभाषित करें?
3. संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को मजबूत करने में राज्यसभा की भूमिका पर चर्चा कीजिए?
4. क्या विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियां प्रशासन को अपने पैर की उंगलियों पर रखती हैं और संसदीय नियंत्रण के लिये समान प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती हैं? उपर्युक्त उदाहरणों के साथ ऐसी समितियों के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए?
5. आपकी दृष्टि में, भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहां तक समर्थ है।
6. सरकारीय नीतियों के प्रभावी कामकाज और क्रियान्वयन के लिये नियामकों की संसदीय निगरानी आवश्यक है विश्लेषण कीजिए?
7. फर्स्ट - पास्ट - द - पोस्ट सिस्टम को समझाइये?
8. संसदीय कार्यवाही की विवेचना कीजिए?
9. संसद में संयुक्त बैठक की व्याख्या कीजिए?
10. संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका का वर्णन कीजिए?
11. संसदीय विशेषाधिकारों की व्याख्या कीजिए?

अध्याय – 23

विभिन्न अन्य आयोग

• राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम CRPA act-2005 के प्रावधानों के तहत एक **वैधानिक निकाय** के रूप में किया गया है।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 की गयी
- यह **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

सदस्य :-

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन **1 अध्यक्ष + 6 सदस्यों** से मिलकर के होता है।
- आयोग के **6 सदस्यों** में से कम से कम **2 सदस्य** अनिवार्य रूप से महिलाएं होनी चाहिए
- आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को 10 वर्ष के अनुभव का प्रावधान भी किया गया है
- आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है,नियुक्ति समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:-

1. प्रधानमंत्री
2. दोनों सदनों के विपक्ष के नेता
3. गृहमंत्री
4. मानव संसाधन विकास मंत्री।

कार्य एवं शक्तियां :-

बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं-

- यह **शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009** के तहत एक बच्चे के लिये **मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा** के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जाँच करता है।
- यह **लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012** के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
- बच्चों के उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों की जांच करना
- बच्चों को आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, घरेलू हिंसा, एड्स, वेश्यावृत्ति,भिक्षावृत्ति आदि से बचाने हेतु कदम उठाना
- केंद्र या राज्य सरकारों के तहत आने वाले किशोर सुधार ग्रहों का निरीक्षण करना एवं उचित कार्यवाही करना गरीब बच्चों के अधिकारों से संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान देना
- बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना
- बाल अधिकारों को श्रेष्ठ रूप से लागू करवाने हेतु विभिन्न अनुसंधान करवाना
- बच्चों से जुड़े कार्यक्रमों अंतरराष्ट्रीय संधियों और मौजूदा नीतियों की समीक्षा कर बच्चों के हित में उन्हें लागू करवाना
- चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित करना।

राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग (SC)

राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इस आयोग का गठन संविधान 338 के द्वारा किया गया है यह आयोग भारत में अनुसूचित जातियों (SC) के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है।

89 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया।

2004 में इन दोनों आयोगों को अलग – अलग राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से स्थापित किया गया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना –

इस आयोग में कुल पाँच सदस्य होतें हैं – एक अध्यक्ष + एक उपाध्यक्ष + तीन अन्य सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की जाती है।

आयोग के कार्य –

- यह आयोग अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का अधीक्षण, निरीक्षण व क्रियान्वयन करता है।
- यह आयोग अनुसूचित जातियों के संबंध में उठाए गए कदमों एवं किए जा रहे कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।
- अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित सामाजिक – आर्थिक विकास योजनाओं पर केंद्र या राज्य सरकारों को सलाह देता है।
- अनुसूचित जातियों के सामाजिक- आर्थिक विकास और सवैधानिक संरक्षण से सम्बन्धित कार्यों को सम्पन्न करवाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (ST)

राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की तरह ही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। इस आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 – (क) के तहत किया गया है।

89 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम सन 2004 में इस आयोग की स्थापना की गई।

इस संशोधन द्वारा पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो अलग – अलग आयोगों द्वारा स्थापित किया गया था इसमें निम्न दो आयोग शामिल थे –

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

संरचना –

- इसमें कुल पाँच सदस्य होते हैं जिनमें एक अध्यक्ष + एक उपाध्यक्ष + 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं।

अध्याय – 26

समुदाय आधारित संगठन (CBO)

- समुदाय आधारित संगठन (सीबीओज़) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों का स्थायी विकास लाने के लिए अपेक्षित सक्षमता रखते हैं।
- राज्य संस्थाएं और अन्य विकास अभिकरण ग्राम विकास कार्यक्रमों में प्रतिपादन, नियोजन और क्रियान्वयन में समुदाय आधारित संगठनों को उत्तरोत्तर रूप से शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं।
- क्रियान्वयन के बाद की अवस्था में सीबीओज़ को ग्राम विकास कार्यक्रमों के माध्यम से बनाई गई परिसम्पत्तियों का स्वामी अर्थात मालिक / प्रबंधक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- सीबीओज़ को सामान्य तौर पर बाह्य अभिकरणों से प्रेरणा और सहयोग पाकर स्थापित किया जाता है, जैसे राज्य अथवा अन्य विकास अभिकरण या फिर वृहद् एनजीओज़ भी। कुछ सीबीओज़ देशज समुदाय नेताओं की अभिप्रेरणा तथा भारी उत्साह के साथ स्थानीय समुदायों के भीतर से भी स्वतंत्र रूप से उद्गमित हुए हैं। इस इकाई में हम ऐसे ही सीबीओज़ पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो राज्य संस्थाओं व अन्य विकास अभिकरणों से प्रेरणा और सहयोग पाकर स्थापित हुए हैं।

समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ) दृष्टिकोण और ग्राम विकासः-

- ग्राम विकास के दृष्टिकोण, ग्राम विकास की प्रक्रिया में राज्य के ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण से विकसित हुए हैं, जिसमें ये दृष्टिकोण लोगों की निष्क्रिय भागीदारी से 'अंतर्क्रियात्मक और योगदायी भागीदारी तक विकसित हुए हैं।
- अन्तिम दृष्टिकोण जो समुदायों के संघटन द्वारा जन भागीदारी को संस्थागत करने के लिए कड़ा प्रयास करता है, उसमें ही समुदाय आधारित संगठनों की मूल विशिष्टता निहित है। इस भाग में हम आपको ग्रामीण समुदायों को स्थायी विकास का लाभ प्रदान करने के लिए समुदाय आधारित संगठनों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण (सीबीओ दृष्टिकोण) के महत्व और अनिवार्य प्रकृति से अवगत कराएंगे।

समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ)का महत्व और उत्पत्ति

- ग्राम विकास कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य रहे हैं गरीबी उन्मूलन, निरक्षरता मिटाना, स्वास्थ्य में सुधार और ग्रामीण जन समुदाय के जीवन स्तर में अनुवर्ती बढ़ोत्तरी ।
- विगत में अधिकांश ग्राम विकास कार्यक्रम केवल मंत्रालयों और सरकारी विभागों द्वारा ही परिकल्पित और अभिकल्पित किए जाते थे। ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं का आकलन किया गया और राज्य की उच्च संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम तैयार किए गए।
- ग्रामीण समुदायों की सार्थक भागीदारी तो दूर की बात है, उनसे कोई सलाह भी नहीं ली जाती थी। ग्राम विकास योजनाएं / कार्यक्रम तब राज्य के विभिन्न कर्मियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते थे।
- अधिकांश क्रियान्वयनकारी अभिकरणों और उनके कर्मियों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय दशाओं का बहुत कम ज्ञान होता था। और भी बड़ी बात यह है कि वे प्रायः विकास परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के परिणाम में कम ही रुचि लेते थे। इस में आश्चर्य नहीं कि अनेक पूर्वकालीन ग्राम विकास कार्यक्रम भारतीय राज्य द्वारा किए गए असीम निवेशों के बावजूद अपने लक्ष्य हासिल करने में विफल रहे।
- बाद में, यह महसूस किया गया कि जन-भागीदारी ही ग्राम विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए मुख्य तत्त्व है। भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए परंतु इस प्रकार के प्रयास ग्रामीण लोगों की सार्थक और सतत भागीदारी का लाभ उठाने में विफल रहे। लोगों ने विभिन्न राज्य प्रायोजित ग्राम विकास योजनाओं और परियोजनाओं में भाग तो लिया परंतु बहुत ही सीमित तरीके से, अर्थात नाम मात्र और केवल औपचारिक रूप से। उनमें ऐसे ग्राम विकास कार्यक्रमों में किसी सतत तरीके से भागीदारी के लिए उत्साह का अभाव था। कारण यह था कि लोगों ने अपने अंदर ग्राम विकास कार्यक्रमों के प्रति तादात अर्थात संबंध विकसित नहीं किया था। उन्हें लगता था कि अंत में वे विभिन्न ग्राम विकास कार्यक्रमों द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों के स्वामी नहीं होंगे। इसी कारण सभी व्यवहारिक उद्देश्यों से, ग्राम विकास कार्यक्रम मुख्यतः सरकारी कार्यक्रम ही बने रहे और वे जनता के कार्यक्रम नहीं बन पाए।
- 1980 के दशक तक विकास कर्ताओं को अहसास हो गया कि ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण ग्राम विकास में जनभागीदारी को बढ़ावा देने में विफल रहा है। उन्होंने यह महसूस किया कि ऐसी विकास परियोजनाएं जो मंत्रालयों अथवा अन्य राज्यीय संस्थाओं द्वारा आयोजित की गई हों, उन्हें क्रियान्वित करने के लिए ग्रामीण समुदायों से पूछा जाना ही मात्र पर्याप्त नहीं होता। उन्होंने यह भी महसूस किया कि ग्रा**मीण समुदायों को ग्राम विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए स्थानीय स्तर के योजना निर्माण में अवश्य** ही शामिल होना चाहिए।
- 1980 के दशक तक विकास कर्ताओं को अहसास हो गया कि ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण ग्राम विकास में जनभागीदारी को बढ़ावा देने में विफल रहा है। उन्होंने यह महसूस किया कि ऐसी विकास परियोजनाएं जो मंत्रालयों अथवा अन्य राज्यीय संस्थाओं द्वारा आयोजित की गई हों, उन्हें क्रियान्वित करने के लिए ग्रामीण समुदायों से पूछा जाना ही मात्र पर्याप्त नहीं होता। उन्होंने यह भी महसूस किया कि ग्रा**मीण समुदायों को ग्राम विकास कार्यक्रमों के**

राष्ट्रपति शासन		**18.02.1980 से 08.06.1980**
श्री अर्जुन सिंह	कांग्रेस	09.06.1980 to 10.03.1985
श्री अर्जुन सिंह	कांग्रेस	11.03.1985 to 12.03.1985
श्री मोतीलाल वोरा	कांग्रेस	13.03.1985 to 13.02.1988
श्री अर्जुन सिंह	कांग्रेस	14.02.1988 to 24.01.1989
श्री मोतीलाल वोरा	कांग्रेस	25.01.1989 to 08.12.1989
श्री श्यामाचरण शुक्ल	कांग्रेस	09.12.1989 to 04.03.1990
श्री सुंदरलाल पटवा	BJP	05.03.1990 to 15.12.1992
राष्ट्रपति शासन		**16.12.1992 से 06.12.1993**
श्री दिग्विजय सिंह	कांग्रेस	07.12.1993 to 01.12.1998
श्री दिग्विजय सिंह	कांग्रेस	01.12.1998 to 08.12.2003
सुश्री उमा भारती	BJP	08.12.2003 to 23.08.2004
श्री बाबूलाल गौर	BJP	23.08.2004 to 29.11.2005
श्री शिवराज सिंह चौहान	BJP	29.11.2005 to 12.12.2008
श्री शिवराज सिंह चौहान	BJP	12.12.2008 to 13.12.2014
श्री शिवराज सिंह चौहान	BJP	14.12.2013 to 16.12.2018
श्री कमलनाथ	कांग्रेस	17.12.2018 to 20.03.2020
शिवराज सिंह चौहान	BJP	23 मार्च 2020 से वर्तमान तक

1. भारतीय जनता पार्टी की उमा भारती **मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रहीं हैं।**

2. शिवराज सिंह चौहान (BJP), **मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड** रखते हैं. उन्होंने नवंबर 2005 से दिसंबर 2018 तक सीएम कार्यालय में 13 साल सेवा की थी और अब चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है।

अध्याय – 6

राज्य विधानसभा

- संविधान के **छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक** राज्य विधानमंडल की संरचना, गठन, कार्यकाल, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार तथा शक्तियों आदि का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमण्डल होगा जो राज्यपाल और एक या दो सदनों से मिलकर बनेगा।
- जहाँ विधानमण्डल के दो सदन है वहाँ एक का नाम विधान परिषद् (उच्च सदन / द्वितीय सदन / वरिष्ठों का सदन) है जबकि दूसरे का नाम विधानसभा (निम्न सदन / पहला सदन / लोकप्रिय सदन) है।

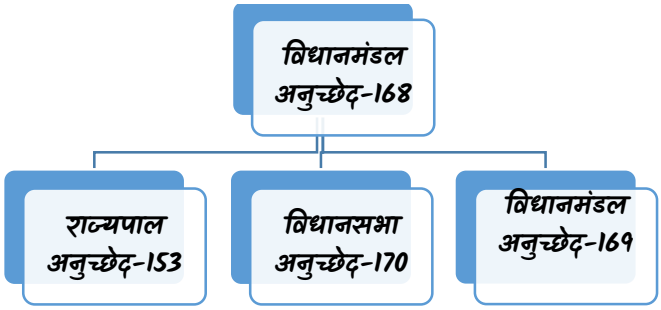

- **राज्य विधानपरिषद् व विधानसभा**
- **अनुच्छेद 170 के अनुसार** प्रत्येक राज्य की एक विधानसभा होगी। विधानसभा को निम्न सदन / पहला सदन भी कहा जाता है।)
- विधानसभा के सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं क्योंकि उन्हें किसी एक राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है।(फर्स्ट पास्ट द पोस्ट / अग्रता ही विजेता)
- इसके अधिकतम आकार को भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें 500 से अधिक व 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। इनके बीच की संख्या राज्य की जनसंख्या एवं इसके आकार पर निर्भर है।
- हालाँकि अपवाद के तौर पर गोवा (40), सिक्किम (32), मिजोरम (40) और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी (30) है।
  NOTE - संसद कानून बनाकर विधानसभा की सीटों में वृद्धि कर सकती है। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है।
- वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्य- उत्तरप्रदेश (404), पश्चिम बंगाल (295) बिहार (243) महाराष्ट्र (288)
  NOTE : - दो केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली एव पुडुचेरी में विधानसभा है जहाँ क्रमशः 70 एवं 30 सदस्यों की संख्या है। जम्मू - कश्मीर को दो केन्द्रशासित प्रदेशों (जम्मू - कश्मीर व लद्दाख) में विभाजित कर दिया गया है। जम्मू -

कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश में भी विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है ।

- प्रत्येक विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है जिसके बाद पुनः चुनाव होता है। आपात काल के दौरान, इसके सत्र को बढ़ाया जा सकता है या इसे भंग किया जा सकता है ।
- विधानसभा को बहुमत प्राप्त या गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर भी भंग किया जा सकता है ।
- विधानसभा को भी राज्यसभा व विधानपरिषद के सामान ही कानूनी ताकतें होती हैं ।
- **अनुच्छेद 170** के अनुसार राज्य के भीतर प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार आनुपातिक रूप से समान प्रतिनिधित्व होगा ।
- जनसंख्या का अभिप्राय वह पिछली जनगणना है जिसकी सूची प्रकाशित की गई है ।
- **मध्यप्रदेश की विधानसभा सीटें 230 है। 15वीं विधानसभा में महिला निर्वाचित महिलाओं की संख्या 21 है विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 332 में है ।**
- **संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार** संसद विधि द्वारा विधान परिषद् का गठन या उन्मूलन कर सकती है । इसके लिए संबंधित राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है ।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने सामान्य बहुमत से स्वीकृति देने पर संबंधित राज्य मे विधानपरिषद् का गठन एवं उन्मूलन होता है ।
- **NOTE - विधानपरिषद् के गठन व उत्सादन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होती है ।**
- वर्तमान में छः राज्यों में विधानपरिषद् हैं 1. आंध्रप्रदेश 2 तेलगांना 3. उत्तर प्रदेश 4 बिहार 5. महाराष्ट्र 6. कर्नाटक

अनुच्छेद 171 - विधान परिषद् की संरचना

संख्या : - इसमें अधिकतम संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा की एक - तिहाई और न्यूनतम 40 निश्चित है।

NOTE:- इनकी वास्तविक संख्या संसद निर्धारित करती है।

निर्वाचन पद्धति : - विधानपरिषद् के सदस्य का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है ।

विधान परिषद् के कुल सदस्यों में से -

1. 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे- नगरपालिका, जिला परिषद् आदि के सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है ।
2. 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है ।
3. 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है जिन्हें साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता, समाज - सेवा का विशेष ज्ञान हो ।
4. 1/12 सदस्यों का निर्वाचन माध्यमिक स्तर के स्कूल के अध्यापक करते है जो पिछले 3 वर्षों से अध्यापन करा रहे हैं ।
5. 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं ।

इस प्रकार विधान परिषद् के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करता ।

NOTE-राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है ।

विधान परिषद् एवं सदस्यों का कार्यकाल :

राज्य की विधान परिषद् का विघटन नहीं होगा किन्तु इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं ।

इस तरह एक सदस्य छह वर्ष के लिए सदस्य बनता है । खाली पदों को नए चुनाव और नामांकन (राज्यपाल द्वारा) हर तीसरे वर्ष के प्रारंभ में भरा जाता है ।

सेवानिवृत्त सदस्य भी पुनः चुनाव और दोबारा नामांकन हेतु योग्य होते हैं ।

अनुच्छेद 172 राज्यों के विधान मण्डलों की अवधि

अनुच्छेद 172 (1) विधानसभा का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष होता है ।

राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद विधि निर्माण द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक बार मे एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है । आपातकाल के समाप्त होने के पश्चात् बढ़ायी गई अवधि 6 माह तक रह सकती है ।

अनुच्छेद 172 (2) विधान परिषद् एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है । प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते है और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं ।

अनुच्छेद 173 विधानमंडल (विधानपरिषद् व विधानसभा) के सदस्यों के लिए अर्हताएँ / योग्यताएँ

विधानपरिषद्	**विधानसभा**
भारत का नागरिक हो ।	वह भारत का नागरिक हो।
वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो ।	वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ।
संसद द्वारा निश्चित की गई योग्यता धारण करता हो ।	वह पागल या दिवालिया न हो ।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति को उस राज्य के किसी विधानसभा के निर्वाचन का निर्वाचक होना चाहिए	वह शासकीय सेवा में न हो अर्थात् किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो

विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है । • इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है । • यह समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट (प्रतिवेदन), विधानसभा अध्यक्ष को सौंपती है । • इस समिति का सर्वप्रथम 10 अप्रैल, 1952 को गठन किया गया	• इस समिति में अधिकतम 15 सदस्य हो सकते है । • इस समिति के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है । • इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है । • यह समिति अपनी रिपोर्ट (प्रतिवेदन) विधानसभा अध्यक्ष को सौंपती है प्रतिवर्ष।	• इस समिति में कुल 15 सदस्य होते है । • इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है । • इस समिति के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है । • यह समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट (प्रतिवेदन) विधानसभा अध्यक्ष को सौंपती है ।

- सदन में आम तौर पर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सदस्यों से ये समितियां गठित की जाती हैं ।
- समिति के सदस्यों का कार्यालय आम तौर पर एक वर्ष होता है ।
- सरकार के बिलों पर चयन समितियों के मामले के अलावा कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है ।
- जहां तक बिजनेस एडवाइज़ रीकमेटी का संबंध है,सदन के नेता के मामले में यह प्रावधान लागू नहीं होता है, जो मुख्यमंत्री होता है ।
- आमतौर पर, इन समितियों की रिपोर्ट समितियों के अध्यक्ष द्वारा सदन में प्रस्तुत की जाती है, लेकिन अंतर सत्र में अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तत कर सकते हैं।
- इन रिपोर्टों को (विशेषाधिकार समिति और बिजनेस एडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट को छोड़कर) आमतौर पर सदन में नहीं उठाया जाता है ।

मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष :-

MP के विधानसभा अध्यक्ष	कार्यकाल
पंडित कुंजीलाल दुबे	01/11/1956 से 01/07/1957
पंडित कुंजीलाल दुबे	02/07/1957 से 26/03/1962
पंडित कुंजीलाल दुबे	27/03/1962 से 07/03/1967
काशीप्रसाद पाण्डे	24/03/1967 से 24/03/1972
तेजलाल टेंभरे	25/03/1972 से 10/08/1972
गुलशेर अहमद	14/08/1972 से 14/07/1977
मुकुंद नेवालकर	15/07/1977 से 02/07/1980
यज्ञदत्त शर्मा	03/07/1980 से 19/07/1983
रामकिशोर शुक्ला	05/03/1984 से 13/03/1985
राजेंद्र प्रसाद शुक्ल	25/03/1985 से 19/03/1990
बृजमोहन मिश्रा	20/03/1990 से 22/12/1993
श्रीनिवास तिवारी	24/12/1993 से 01/02/1999
श्रीनिवास तिवारी	02/02/1999 से 11/12/2003
ईश्वरदास रोहाणी	16/12/2003 से 04/01/2009
ईश्वरदास रोहाणी	07/01/2009 से 05/11/2013
डॉ. सीताशरण शर्मा	09/01/2014 से 01/01/2019
नर्मदा प्रसाद प्रजापति	08/01/2019 से 23/03/2020
गिरीश गौतम	22/02/2021 से अब तक

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से विभिन्न परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें - ⬇ (Proof Video Link)

RAS PRE. 2021 - https://shorturl.at/qBJ18 (74 प्रश्न, 150 में से)

RAS Pre 2023 - https://shorturl.at/tGHRT (96 प्रश्न, 150 में से)

UP Police Constable 2024 - http://surl.li/rbfyn (98 प्रश्न, 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6URO

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

RPSC EO / RO - https://youtu.be/b9PKjl4nSxE

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
MPPSC Prelims 2023	17 दिसम्बर	63 प्रश्न (100 में से)
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये

whatsapp - https://wa.link/dy0fu7 1 web.- https://bit.ly/3BGkwhu

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

RAS Pre. 2023	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 मेंसे)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)
UP Police Constable	17 February 2024 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

whatsapp - https://wa.link/dy0fu7 2 web.- https://bit.ly/3BGkwhu

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

Our Selected Students

Approx. 137+ students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	Mohan Sharma S/O Kallu Ram	Railway Group - d	114195120370022	PratapNagar Jaipur
	Mahaveer singh	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
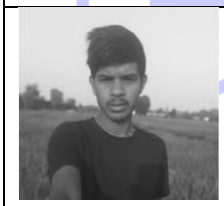	**Sonu Kumar Prajapati S/O Hammer shing prajapati**	SSC CHSL tier-1	2006018079	Teh.- Biramganj, Dis.- Raisen, MP
N.A	**Mahender Singh**	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumangarh
	Lal singh	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumangarh
N.A	**Mangilal Siyag**	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	MONU S/O KAMTA PRASAD	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	Mukesh ji	RAS Pre	1562775	newai tonk
	Govind Singh S/O Sajjan Singh	RAS	1698443	UDAIPUR
	Govinda Jangir	RAS	1231450	Hanumangarh
N.A	**Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma**	RAS	N.A.	Churu
	DEEPAK SINGH	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawala
N.A	**LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALIWAL**	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR
N.A	**Ramchandra Pediwal**	RAS	N.A.	diegana , Nagaur

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Monika jangir	RAS	N.A.	jhunjhunu
	Mahaveer	RAS	1616428	village-gudaram singh, teshil-sojat
N.A	**OM PARKSH**	RAS	N.A.	Teshil-mundwa Dis- Nagaur
N.A	**Sikha Yadav**	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
	Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel	Rac batalian	729141135	Dis.- Bhilwara
N.A	**mukesh kumar bairwa s/o ram avtar**	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUNU
N.A	**Rinku**	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	**Rupnarayan Gurjar**	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	Govind	SSB	4612039613	jhalawad

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Jagdish Jogi	EO/RO (84 Marks)	N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	Vidhya dadhich	RAS Pre.	1158256	kota
	Sanjay	Haryana PCS	96379	Jind (Haryana)

And many others.....

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

WhatsApp करें - https://wa.link/dy0fu7

Online Order करें - https://bit.ly/3BGkwhu

Call करें - 9887809083

whatsapp - https://wa.link/dy0fu7 6 web.- https://bit.ly/3BGkwhu

FREE SAMPLE